



न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-10/विशेष न्यायाधीश
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम), सहारनपुर।

विशेष परिवाद संख्या- 2216/2023

उ०प्र० राज्य द्वारा औषधि निरीक्षक

बनाम

हसन।

10.07.2026

पत्रावली पुकार पर पेश हुई। विद्वान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित आये।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत परिवाद उत्तर-प्रदेश राज्य द्वारा औषधि निरीक्षक श्री लवकुश प्रसाद की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसे विद्वान न्यायालय ने दिनांक 20.09.2023 को आदेश पारित करते हुए परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर कर परिवाद को पोषणीयता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत किया है।

उक्त पोषणीयता के बिन्दु पर सुनवाई के संबंध में प्रतिवादी लवकुश प्रसाद की ओर से प्रार्थनापत्र 20 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि राजकीय कार्यों के अनुपालन एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 में समय सीमा का उल्लेख नहीं होने के कारण यह परिवाद दिनांक 05.09.2023 को प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 13.09.2017 की है। प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा- 18/18 ए/18 सी/27 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

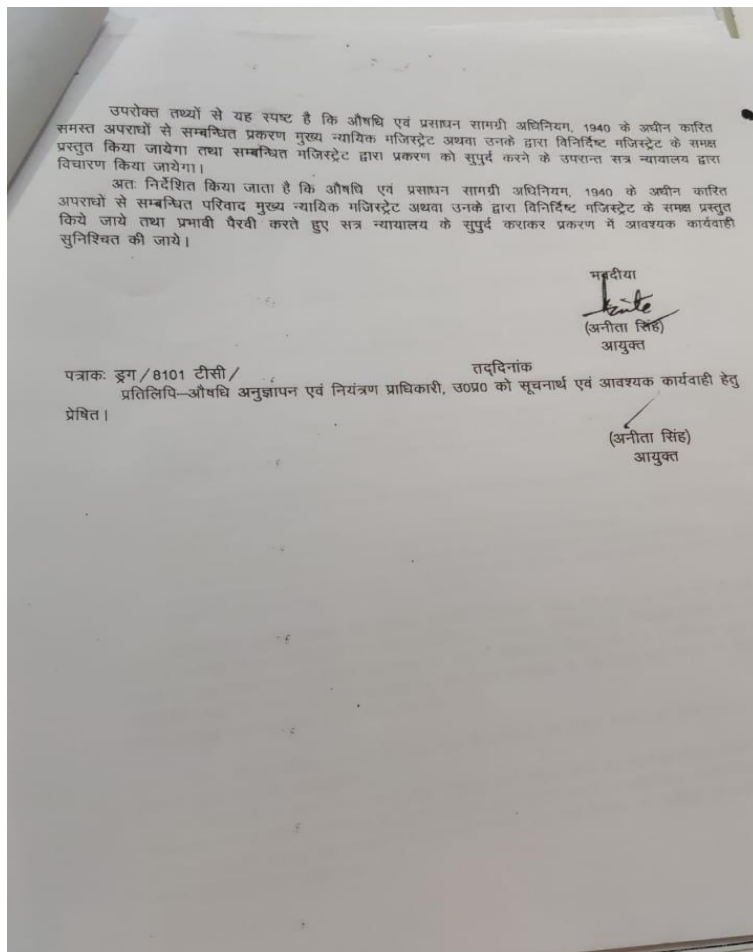
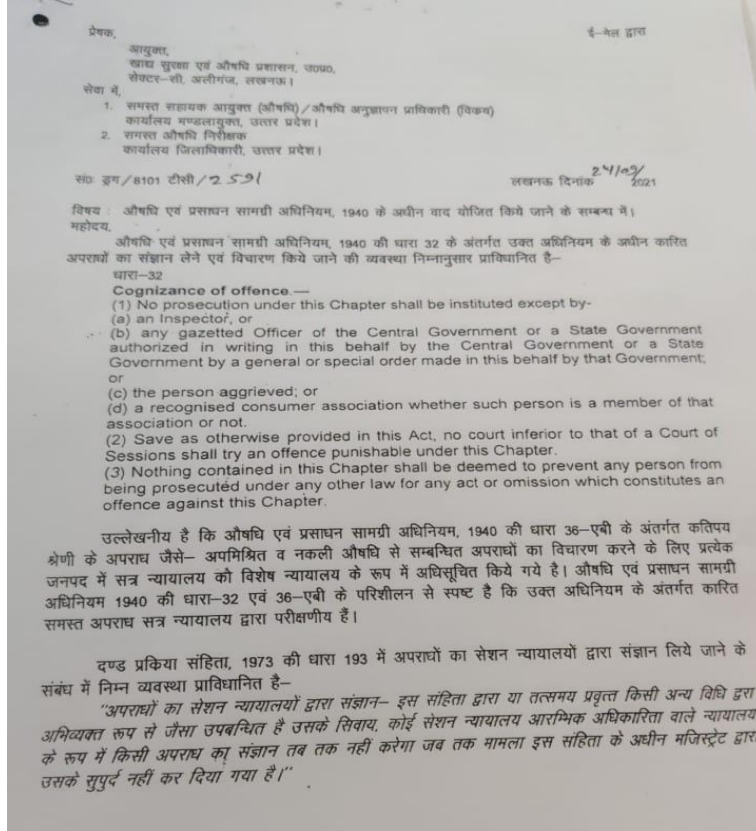
औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा- 36AB प्रावधान करती है कि- (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अपमिश्रित ओषधियों या नकली ओषधियों से संबंधित और धारा 13 के खंड (क) और खंड (ख), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खंड (क) और खंड (ग), धारा 28, धारा 28 क, धारा 28 ख और धारा 30 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दंडनीय अपराधों और अपमिश्रित ओषधियों या नकली ओषधियों से संबंधित अन्य अपराधों के विचारण के लिए, अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक सेशन न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा में, "उच्च न्यायालय" से उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय ऐसे अभिहित किए जाने के ठीक पहले कार्य कर रहा था।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध से भिन्न ऐसे किसी अपराध का विचारण भी करेगा, जिससे अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जाए।

धारा- 36AB औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 से स्पष्ट है कि उक्त धारा में उल्लिखित धारा के अंतर्गत आने वाले परिवादों का विचारण करने का अधिकार विशेष न्यायालय को प्रदान किया गया है।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (उ०प्र०) की ओर से निर्गत पत्रांक संख्या- डूंग/8101 टी०सी०/2591 दिनांकित 24.09.2021 में प्रावधान किया गया है कि -



माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा UNION OF INDIA Vs ASHOK KUMAR SHARMA AND OTHERS CRIMINAL APPEAL NO.200 OF 2020 (@ S.L.P. (CRIMINAL)No.4178 of 2019) में पैरा 40 में मत व्यक्त किया गया है कि-

40. Section 32 of the Act undoubtedly provides for taking cognizance of the offence by the court only at the instance of the four categories mentioned therein. They are: (a) Inspector under the Act; (b) Any Gazetted Officer empowered by the Central or the State Government; (c) Aggrieved person; and (d) Voluntary Association. It is clear that the Legislature has not included the Police Officer as a person who can move the court. Before the matter reaches the court, under Section 190 of the CrPC, ordinarily starting with the lodging of the first information report leading to the registration of the first information report, investigation is carried out culminating in a report under Section 173. The Police Report, in fact, is the Report submitted under Section 173 of the CrPC to the court. Under Section 190 of the CrPC, the court may take cognizance on the basis of the police report. Such a procedure is alien to Section 32 of the Act. In other words, it is not open to the Police Officer to submit a report under Section 173 of the CrPC in regard to an offence under Chapter IV of the Act under Section 32. In regard to offences contemplated under Section 32(3), the Police Officer may have power as per the concerned provisions. Being a special enactment, the manner of dealing with the offences under the Act, would be governed by the provisions of the Act. It is to be noted that Section 32 declares that no court inferior to the Court of Sessions shall try offence punishable under Chapter IV. We have noticed that under Section 193 of the CrPC, no Court of Sessions can take cognizance of any offence as a Court of Original Jurisdiction unless the case has been committed to it by a Magistrate under the CrPC. This is, undoubtedly, subject to the law providing expressly that that Court of Sessions may take cognizance of any offence as the Court of Original Jurisdiction. There is no provision in the Act which expressly authorises the special court which is the Court of Sessions to take cognizance of the offence under Chapter IV. This means that the provisions of Chapters XV and XVI of the CrPC must be followed in regard to even offences falling under Chapter IV of the Act. Starting with Section 200 of the Act dealing with taking of cognizance by a Magistrate on a complaint, including examination of the witnesses produced by the

complainant, the dismissal of an unworthy complaint under Section 203 and following the procedure under Section 202 in the case of postponement of issue of process are all steps to be followed. It is true that when the complaint under Section 32 is filed either by the Inspector or by the Authorised Gazetted Officer being public servants under Section 200, the Magistrate is exempted from examining the complainant and witnesses.

माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त निर्णय विधि-व्यवस्था तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (उ०प्र०) की ओर से निर्गत पत्रांक संख्या- डूग/8101 टी०सी०/2591 दिनांकित 24.09.2021 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत परिवाद पर विशेष न्यायालय, आरम्भिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा, जब तक मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद सीधे विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

धारा- 224 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा- 201 दण्ड प्रक्रिया संहिता) में प्रावधान किया गया है कि-

224- ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है- यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है, जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो -

(क) यदि परिवाद लिखित है तो वह उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए, उस भाव के पृष्ठांकन सहित, लौटा देगा;

(ख) यदि परिवाद लिखित नहीं है, तो वह परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निदेश देगा।

चूँकि प्रस्तुत परिवाद उक्त निर्गत पत्रांक संख्या- डूग/8101 टी०सी०/2591 दिनांकित 24.09.2021 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय विधि-व्यवस्था में पारित आदेश के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत परिवाद इस न्यायालय में, जब तक मजिस्ट्रेट के द्वारा सत्र सुपुर्द ना किया जाये, तब तक पोषणीय नहीं है। अतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद, सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार वापस किया जाता है। परिवादी विधिनुसार सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करे।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(संजय कुमार-V)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।

JO Code- UP1773